

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/63/2019

प्रवेश तिथि
18-07-2019

निर्णय दिनांक
28-08-2019

01- बलदेव सिंह पुत्र श्री कक्का सिंह जाति रायसिख निवासी ग्राम आलमपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

01- नायब तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

—रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार रामगढ
दिनांक 11.02.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 14/2017

उपस्थित:-

01-श्री जगदीश चंद सतीजा

—वकील अपीलान्ट

—निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 11.02.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम आलमपुर की गै.मु.रास्ता भूमि आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.31 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ0 को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम आलमपुर की गै.मु.रास्ता भूमि आराजी खसरा नम्बर 15 रकबा 0.31 है0 में से 0.01 है0 पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 10.01.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 11.02.2017 के विरुद्ध दिनांक 17.07.2019 को पेश किया। जो करीब 2 साल 6 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 30.07.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी से मुक्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)